न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/253

मिसल नम्बर– 39/2025

बिहारी लाल वर्मा पुत्र स्व0 श्री बजरंग लाल उम्र 78 वर्ष निवासी म0नं0 2 र 28 विज्ञान नगर कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.चेतना वर्मा पुत्री बिहारी लाल वर्मा उम्र 42 वर्ष
2.मनीष वर्मा पुत्र बिहारी लाल वर्मा उम्र 43 वर्ष निवासीगण म0नं0 2 र 28 विज्ञान नगर कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/10/2025

उपस्थितिः–

1.श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव प्रार्थी अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीया नं. 1 आवेदक की पुत्री हैं तथा अप्रार्थी क्रम–2 आवेदक का पुत्र है। अप्रार्थीया न. 1 दिनांक 15/07/2013 से राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक (जूनियर असिस्टेंट) के पद पर कार्यरत है जो झालावाड़ जिला परिषद की भवानीमण्डी पंचायत समिति में पदस्थापित है तथा वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर जिला परिषद कोटा में कार्यरत है। जिसकी 60,000/– रूपये प्रतिमाह आय है। साथ ही अप्राथी क्रम–2, प्रार्थी के मकान में मेथेमेटिक्स गुरूकुल नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन करता है जिससे उसे मासिक आय के रूप में 50,000/– रूपये आय अर्जित होती हैं। प्रार्थी का एक मकान वाके–म.नं. 2–र–28, विज्ञाननगर, कोटा (राज.) पर स्थित है। प्रार्थी को उक्त मकान राजस्थान आवासन मण्डल से आवंटित हुआ है, जिसका पंजीयन प्रार्थी के पक्ष में पंजीबद्ध हो रहा है तथा उक्त मकान पर प्रार्थी का स्वामित्व व अधिकार चला आ रहा है। दिनांक 12/08/2021 से पूर्व प्रार्थी की पत्नी व अप्रार्थीया नं. 1 व अप्रार्थी नं. 2 भी साथ ही उक्त मकान में निवास करते थे लेकिन अप्रार्थी नं. 2 द्वारा प्रार्थी के साथ दिनांक 07/07/2021, दिनांक 13/07/2021, दिनांक 16/07/2021 एवं दिनांक 05/08/2021 को गाली–गलौच कर मारपीट की। जिसके सम्बन्ध में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी द्वारा आप्रार्थी नं. 2 के विरूद्ध थाना विज्ञाननगर कोटा शहर में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। तत्पश्चात पुलिस थाना विज्ञाननगर द्वारा कार्यवाही करने पर अप्रार्थी नं. 2 मनीष वर्मा ने दिनांक 12/08/2021 को अपने समस्त सामान सहित प्रार्थी का मकान खाली कर दिया था। उसी दिन दिनांक 12/08/2021 को प्राथी की पत्नी व अप्रार्थीया नं. 1 ने भी अप्रार्थी नं. 2 के मकान खाली करने के साथ ही अपना सारा सामान, कपड़े, बिस्तर, सोने चांदी के जेवर, बर्तन एवं अन्य सामान अपने साथ लेकर प्रार्थी का मकान खाली कर अन्यत्र किराये के मकान में निवास करने चले गये थे। तत्पश्चात सवा तीन साल बाद प्रार्थी की पत्नी के परिवारजनों की समझाईश पर प्रार्थी की पत्नी एवं अप्रार्थीगण तीनों दिनांक 06/12/2024 से पुनः प्रार्थी के मकान में निवास कर रहे हैं। दिनांक 06/12/2024 के बाद से ही अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ मिलकर दुर्व्यवहार कर रहे हैं और प्रार्थी को अपने ही मकान में चैन से नहीं रहने दे रहे हैं और अप्रार्थीगण द्वारा प्राथीं को अपने ही घर में अलग निवास करने पर मजबूर कर रखा है। अप्रार्थीगण आए दिन किसी न किसी बहाने से प्रार्थी के साथ छोटी–छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करते हैं तथा प्रार्थी को प्रताडित कर घर से बाहर निकालने पर आमादा हैं। प्रार्थी के स्वामित्व का एक वाहन स्कूटर एक्टिवा है जिसका रजि. नं. आर.जे.20–एस.पी.–2028 है। जिसका उपयोग अप्रार्थीया नं. 1 द्वारा किया जा रहा हैं। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपनी स्वर्जित आय से एक स्कूटर लेट्स सुजुकी कम्पनी का रजि. नं. आर.जे. 20–एन. एस.–5254 अप्रार्थीया नं. 1 को खरीदकर दिया गया, जिसकी आर.सी. अप्रार्थीया नं. 1 के नाम से ही है जिसका उपयोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा हैं लेकिन अप्रार्थीया नं. 1 ने प्रार्थी द्वारा खरीद किये गये वाहन स्कूटर लेट्स को चैन से बांधकर ताला लगा रखा है, जिसके कारण प्रार्थी को आने–जाने में काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा हैं। दिनांक 29/03/2025 को अप्रार्थीया नं. 1 प्रार्थी के कमरे में आई और प्रार्थी का एंड्रायड फोन गैलेक्सी जे 7 प्रार्थी के सामने उठाकर ले गई, जिसको वापिस मांगने पर भी प्रार्थी को अभी तक नहीं लौटया। दिनांक 29/03/2025 से अप्रार्थीगण, प्रार्थी को अपने मकान में स्थित बरामदे, किचन व ड्राईग रुम में नहीं जाने दे रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा दोनों तरफ के दरवाजों को अन्दर से कुंदी लगाकर बंद रखते हैं जिससे बरामदा, किचन व ड़ाईगरूम में प्रार्थी का आना– जाना बन्द हो रहा हैं, जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है, क्योंकि प्रार्थी का सारा सामान बरामदे में, अलमारियों में एवं ड्राईगरुम में दीवान में रखा हुआ हैं जिसका उपयोग प्रार्थी नहीं कर पा रहा हैं तथा बरामदे में फ्रीज रखा हुआ हैं, जिसका उपयोग प्रार्थी नहीं कर पा रहा है तथा ड्राइंगरूम में प्रार्थी का लगा हुआ टी.वी. भी प्रार्थी नहीं देख पा रहा है। दिनांक 10/04/2025 को अप्रार्थीया नं. 1 द्वारा प्रार्थी से कहा गया कि बरामदा एवं ड़ाईगरूम में रखा हुआ कोई भी सामान आपको नहीं मिलेगा आपको जो करना हो वो कर लो। अप्रार्थीया नं. 1 ने अपने रुम की खिड़की में अपना कूलर लगा रखा है एवं अप्रार्थीं नं. 2 ने भी अपने रूम में कूलर लगा रखा है लेकिन अप्रार्थीया नं. 1 प्रार्थी को उसके कमरे में कूलर नहीं लगाने दे रही है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दिनांक 07/04/2025 से दिनांक 13/04/2025 तक अप्रार्थीया नं. 1 ने प्रार्थी के उक्त मकान में चौक की तरफ खुलने वाले प्रार्थी के कमरे के दरवाजे को चौक की तरफ से कुंदी लगाकर बन्द कर दिया था जिसके कारण प्रार्थी को चौक में बने हुए टॉयलेट एवं बाथरूम को यूज करने से वंचित होना पड़ा तथा चौक में लगा हुआ वॉश बेसिन एवं आर. ओ. का उपयोग भी प्रार्थी नहीं कर पाया। प्रार्थी एक वृद्ध, असहाय एवं बीमार व्यक्ति है जिसको टॉयलेट, बाथरूम एवं वॉश बेसिन का उपयोग करने हेतु बार–बार सीढ़ियां चढ़कर प्रथम तल पर जाना पड़ा तथा प्रार्थी को बाजार से बिसलेरी की बोतल लाकर पानी पीने को मजबूर होना पड़ा। दिनांक 29/03/2025 को अप्रार्थीगण ने मामूली बात पर प्रार्थी से झगड़ा किया। झगडे के दौरान बरामदे के अन्दर से अप्रार्थीया नं. 1 चौक में आई और गुस्से में चौक की तरफ खुलने वाले प्रार्थी के कमरे के जालीदार लकड़ी के दरवाजे की जाली तोड़ दी। इसके पश्चात अप्रार्थीया नं. 1 ने प्रार्थी के कमरे में जबरदस्ती घुसकर प्रार्थी की गले के पास से बनियान पकड़कर प्रार्थी को जोर से झकझोर दिया और प्रार्थी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके पश्चात अप्रार्थीया नं. 1 ने प्रार्थी की पत्नी के द्वारा प्रार्थी के खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब प्रार्थी स्वयं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाने लगा तो अप्रार्थीया नं. 1 ने मकान के मेन गेट पर अन्दर की तरफ से स्वयं का ताला लगाकर चाबी स्वयं के पास रख ली और प्रार्थी के स्कूटर लेट्स को भी चैन से बांधकर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली और प्रार्थी को पुलिस थाने जाने से रोक दिया। इसके थोडी देर पश्चात ही विज्ञाननगर थाने से कुछ पुलिस कर्मी पुलिस वेन में आए और प्रार्थी को कमरे से उठाकर पूलिस वेन में बैठाकर अपने साथ थाने में ले गये। इसके पश्चात दूसरे दिन दिनांक 30/03/2025 को भी उपरोक्त पुलिस थाने से कुछ पुलिसकर्मी पुलिस वेन में आए और प्रार्थी को कमरे से उठाकर पुलिस वेन में बैठाकर अपने साथ थाने में ले गये तथा प्रार्थी से पूछ्ताछ कर उसे वापिस भेज दिया। इस प्रकार पुलिसकर्मीयों द्वारा प्रार्थी को दोनों दिन पुलिस वेन में बैठाकर थाने ले जाने से प्रार्थी को अपमानित होना पड़ा जिसके कारण प्रार्थी मानसिक व शारिरिक रूप से प्रताड़ित हुआ। दिनांक 23/09/2024 को प्रार्थी के बड़े पुत्र रजनीश वर्मा की बैंगलूरू में अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। अतः होली दहन के एक दिन पूर्व दिनांक 12/03/2025 को होली के त्यौहार पर आंट (अपशकुन) हटवाने के लिए प्रार्थी ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों व मित्र को रंग गुलाल डालने के लिए घर पर बुलाया था। उपरोकत व्यक्ति उस समय ड्राईगरूम में बैठे हुए थे तो अप्रार्थीया नं. 1 ने प्रार्थी से बिना पूछे ड्राईगरूम में आकर अपने मोबाईल से उन सबका फोटो खींचकर प्रार्थी से कहा कि इन गुण्डों, बदमाशों और मवालियों को यहां क्यों बुलाया है, ऐसा कहकर प्रार्थी के रिश्तेदारों व मित्र का अपमान किया गया जिसके कारण वे प्रार्थी पर रंग गुलाल डाले बिना ही वापिस चले गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण दवारा प्रार्थी के रिश्तेदारों, परिचित व मित्रों को घर पर आने से रोकते हैं तथा उन्हें अपमानित कर घर से भगा देते हैं जिनका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी मई 2000 से भारत सरकार की पी.एस.यू.

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कम्पनी इन्स्ट्रमेन्टेशन लिमिटेड (आई. एल.) कोटा से सेवानिवृत व्यक्ति हैं जिससे प्रार्थी को कोई पेंशन प्राप्त नहीं होती हैं, ना ही प्रार्थी को राजस्थान सरकार से वृद्धावस्था पेंशन मिलती हैं और ना ही आरजीएचएस व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता हैं। प्रार्थी के सेवानिवृति के बाद प्रार्थी ने अप्रार्थीया नं. 1 को बी. ए., डबल एम.ए. एवं तीन वर्ष का कम्प्यूटर शिक्षा का डिप्लोमा करवाया तथा जयपुर से बी.एड, करवाया। अप्रार्थीया नं. 1 दिनांक 15/07/2013 से राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक (जूनियर असिस्टेंट) के पद पर कार्यरत हैं, जो झालावाड़ जिला परिषद की भवानीमण्डी पंचायत समिति में पदस्थापित हैं तथा वर्तमान में कोटा जिला परिषद में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं जिसे 60,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता हैं। प्रार्थी द्वारा सेवानिवृति के पश्चात अप्रार्थी नं. 2 को भी वर्ष 2007 में आईआईटी मुम्बई से बी.टेक करवाया तथा बाद में 'इरमा' आणंद (गुजरात) से एम.बी.ए. करवाया। इसके पश्चात दिनांक 23/12/2024 से अप्राथी नं. 2 प्रार्थी के मकान में मेथेमेटिक्स गुरूकुल के नाम से कोचिंग इन्स्टीट्यूट का संचालन करता हैं। जिससे उसे 50,000/– रूपये मासिक आय अर्जित होती हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य हैं। जिसके कारण उक्त अप्रार्थीगण की ही प्रार्थी के चाय, दूध, नाश्ता, खाना, ईलाज आदि का खर्चा वहन करने में नैतिक जिम्मेदारी है लेकिन अप्रार्थीगण ऐसा नहीं कर रहे हैं, ना ही प्रार्थी की देखभाल कर रहे है, उल्टा प्रार्थी के साथ क्रूरतापूर्ण आचरण करते हुए उसे मानसिक व शारिरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उक्त अप्रार्थीगण कमाने वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा ही उक्त मकान के नल–बिजली के बिलों का भुगतान किया जाता है। कामवाली बाई को झाड़ू पोछे का प्रतिमाह भुगतान तथा सफाईकर्मी को टॉयलेट की सफाई आदि का भुगतान भी प्रार्थी द्वारा किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त मकान में होने वाले अन्य खर्चो का भुगतान भी प्रार्थी द्वारा किया जाता है। दिनांक 06/12/2024 से दिनांक 06/04/2025 के मध्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को दूध, चाय, नाश्ता आदि नहीं दिया गया, मात्र खाने में रोटी सब्जी ही दी। किचन में खाने के अतिरिक्त आए दिन कुछ न कुछ स्पेशल बनता रहता था लेकिन ये लोग प्रार्थी को कुछ खाने को नहीं देते थे। अप्रार्थीया नं. 1 आए दिन बाजार से ढेर सारी खाने–पीने की चीजें लाती थी लेकिन प्रार्थी को कुछ नहीं देती थी। उक्त अप्रार्थीगण अचानक कभी भी प्रार्थी को खाना देना बन्द कर देते हैं। दिसम्बर 2024 में दो दिन तक (दिनांक 19/12/2024 एवं 20/12/2024 को) प्रार्थी को खाना नहीं दिया। इसके बाद अप्रार्थीगण ने मार्च 2025 में 19 दिन तक (दिनांक 13/03/2025 से 31/03/2025 तक) प्राथी को खाना नहीं दिया और अब दिनांक 07/04/2025 से प्रार्थी को पूनः खाना देना बन्द कर दिया है। जिसके कारण दिनांक 07/04/2025 से प्रार्थी को स्वयं का खाना, नाश्ता बनाकर खाना पड़ रहा हैं तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी को किचन में खाना भी नहीं बनाने देते हैं तथा प्रार्थी के साथ अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अप्रार्थीगण, प्रार्थी को मकान से बेदखल करने के आशय व उद्देश्य से आए दिन प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा कर उसे मानसिक व शारिरिक रूप से प्रताड़ित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करते है। ऐसी परिस्थितियों में यदि अप्रार्थीगण लम्बे समय तक प्रार्थी के साथ रहे तो प्रार्थी का भविष्य खतरे में आ सकता है। इस कारण से यह याचिका पेश की जा ही है। आवेदक को वृद्ध अवस्था में अप्रार्थीगण ने असहाय कर दिया हैं। अब अप्रार्थीगण के कृत्यों, धमकियों व गाली– गलौच से प्रार्थी का वृद्धावस्था में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना दुश्वार हो गया है। इस कारण से प्रार्थी के पास न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। तदर्थ यह प्रार्थना पत्र सम्मानीय–न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अनुतोष, जिसके लिए प्रार्थना की गई हैं – प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के मकान 2–र–28, विज्ञाननगर, कोटा में स्थित जिस परिसर में अप्रार्थीगण निवासरत हैं, से अप्रार्थीगण को तत्काल बेदखल किया जावें । ताकि प्रार्थी मकान में शांतिपूर्ण निवास कर सकें तथा सुरक्षित रूप से अपना जीवनयापन कर सकें। अप्रार्थीगण को पाबन्द् किया जावें कि वे इस परिसर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थी को मकान में शांतिपूर्ण निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना ही किसी अपने प्रतिनिधि से करावें। अप्रार्थीगण प्रार्थी को अन्तरिम भरण–पोषण के रूप में 30,000/– रूपये प्रतिमाह की दर से ताफैसला निस्तारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अदा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तामील अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुये। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी नं0 2 द्वार प्रार्थी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट की गई। अप्रार्थीगण आए दिन किसी न किसी बहाने से प्रार्थी के साथ छोटी छोटी बातो पर लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करते है तथा प्रार्थी को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकालने पर आमदा है। जिसके सम्बंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध थाना विज्ञाननगर कोटा शहर में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मानसिक पीड़ा देने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। प्रार्थी द्वारा थाना विज्ञान नगर में दर्ज करवाई गई शिकायत की प्रति भी पेश नही की गई है। प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिस कारण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान म0नं0 2 र 28 विज्ञान नगर कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपखण्ड अधिकारी

परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे और ना ही प्रार्थी का रास्ता रोके। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश का पालना नही की जाती है कि तो प्रार्थी पर्याप्त आधारों एवं सबूतों के साथ उक्त मकान से अप्रार्थीगण की बेदखली हेतु पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा